BIHAR RURAL LIVELIHOODS PROMOTION SOCIETY
Vidyut Bhawan, Annexe - II, 1st Floor (Southern wing), Bailey Road,
Jawaharlal Nehru Marg, Patna.
Website : www.brlp.in

Ref :BRLPS/ 479/06 Date : 28/12/06

कार्यालय आदेश

बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक – 3/एन0–09/2006–का0–3450/पटना, दिनांक – 2/12/06 के द्वारा बिहार सरकार के कार्यालयों/विभागों में निम्न प्रकार कार्य – सप्ताह प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

1. राज्य के सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करते हुए शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
2. कार्यालय अवधि 9:30 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक रहेगा।
3. मध्याह्न विश्रांतिकाल 1:00 बजे मे 2:00 बजे अपराह्न तक रहेगा।
4. एक कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश की संख्या 16 दिन से घटाकर 12 दिन की जाती है।
5. उपर्युक्त व्यवस्था 1 जनवरी 2007 से प्रभावी होगी।

बिहार सरकार के उक्त संकल्प के अनुपालन में उपर्युक्त व्यवस्था निर्धारित तिथि से बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी में भी लागू की जाती है।

(संदीप पौण्डरीक) 28/12
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

वितरण

1. प्रशासी पदाधिकारी
2. लेखा पदाधिकारी
3. सभी स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर
4. सभी प्रोजेक्ट मैनेजर
5. लेखा शाखा
6. संबंधित संचिका
   सूचना पट्ट

(संदीप पौण्डरीक) 28/12
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

(24)

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक- 2-12-06

विषय:-राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली को लागू करने और कार्यालय अवधि में परिवर्तन की स्वीकृति ।

भारत सरकार के विभागों/कार्यालयों में लागू पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली इस राज्य में भी लागू करने का विषय सरकार के विचाराधीन रहा है । पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली अपनाने पर ईंधन खर्च एवं बिजली खर्च में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप गैर योजना व्यय को नियंत्रण में लाया जा सकेगा और शहरों के प्रदूषण में कमी लाने में यह कदम उपयोगी होगा । इस संबंध में भारत सरकार तथा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से एकत्र सूचना के द्वारा ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है । इस प्रणाली के तहत वहाँ शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है और सप्ताह के शेष पाँच दिनों में कार्यालय अवधि तथा मध्याह्न विश्रांति की अवधि परिवर्तित है । भारत सरकार में अवकाशों की संख्या भी कम है ।

2. अतः पूर्व के प्रासंगिक संकल्पों/परिपत्रों/अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

(1) इस राज्य के सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करते हुए शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा ।

(2) कार्यालय अवधि 9.30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक रहेगा ।

(3) मध्याह्न विश्रांतिकाल 1 बजे से 2 बजे अपराह्न तक रहेगा ।

(4) एक कैलेण्डर वर्ष में आकस्मिक अवकाश की संख्या 16 दिन से घटा कर 12 दिन की जाती है ।

(5) उपर्युक्त व्यवस्था 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी होगी ।

3. जहाँ तक राज्यपाल सचिवालय/उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद में उक्त प्रणाली को अपनाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा, अपेक्षानुसार, आदेश निर्गत किया जा सकेगा ।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी) 30-11-06

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-3/एम-05/2006-का०- 3450 /पटना, दिनांक- 2.12.06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

30-11-06

सरकार के सचिव